वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई, 2016-आषाढ़ 17, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, जय सेन पूर्व में मेरा नाम जितेन्द्र कुमार सेन था. अब मुझे जय सेन आत्मज श्री मुकुन्दीलाल सेन, निवासी-म.नं. सी-36, फाईन एवेन्यु, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(जितेन्द्र कुमार सेन)

नया नाम :

(जय सेन)

आत्मज श्री मुकुन्दीलाल सेन,
निवासी—म.नं. क्रमांक सी-36, फाईन एवेन्यु,
नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

(207-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम पूनम वाधवानी पिता श्री भीमनदास वाधवानी का विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमति प्रिशा कटारिया पति श्री वरूण कटारिया हो गया है. अत: अब मुझे आज दिनांक 07-06-2016 से श्रीमति प्रिशा कटारिया पति श्री वरूण कटारिया के नाम से जाना, पहचाना, पढ़ा, लिखा व समझा जाये.

पुराना नाम :

(पूनम वाधवानी)
पिता श्री भीमनदास वाधवानी

नया नाम :

(प्रिशा कटारिया)
पति श्री वरूण कटारिया,
पता-17, पागनीसपागा, इन्दौर (म.प्र.).

(208-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि, मेरे पक्षकार संजय कुमार रैदास आत्मज मोहन लाल रैदास, उम्र 34 साल, निवासी म. नं. 461, बढ़ई मोहल्ला, मदन महल, नरसिंह वार्ड जबलपुर मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी हूँ तथा शैक्षणिक अध्ययन जबलपुर शहर में किया है उपनाम रैदास है. मैं, संजय कुमार वर्मा आत्मज मोहन लाल वर्मा के नाम से अपने समाज में, रिश्तेदारों में तथा अन्य जगह जाना-पहचाना जाता हूँ.

अत: आज के बाद मेरे पक्षकार संजय कुमार रैदास के स्थान पर संजय कुमार वर्मा के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जावें. इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो 7 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें.

पुराना नाम :

(संजय कुमार रैदास)

नया नाम :

(संजय कुमार वर्मा)

(209-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि, पूर्व में मेरा नाम वर्मा हिमांशु राजप्रकाश था, जिसे अब बदलकर हिमांशु राज वर्मा कर लिया है. अत: अब से मुझे मेरे समस्त दस्तावेजों में हिमांशु राज वर्मा के नाम से ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(वर्मा हिमांशु राजप्रकाश)

नया नाम :

(हिमांशु राज वर्मा)
म. नं.-196, भावना नगर,
बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.).

(210-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Khushi Kurchania W/o Anoop Kurchania, R/o B-28, Sagar Royal Homes, Hoshangabad Road, Bhopal declare that my previous name was Anshu Sharma at present I known new name Khushi Kurchania in all documents.

Old Name:

(ANSHU SHARMA)

New Name :

(KHUSHI KURCHANIA)
W/o Shri Anoop Kumar Kurchania,
Address—B-28, Sagar Royal,
Homes Hoshangabad Road, Bhopal. (M.P.).

(216-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पक्षकार रामदास गढ़ेकर (GADEKER) पिता श्री घनश्यामदास गढ़ेकर, उम्र 49 वर्ष, निवासी-भगतसिंह वार्ड, मुलताई, तह. मुलताई, जिला बैतूल मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी हैं. मेरे पक्षकार की हायर सेकेण्डरी की अंकसूची में जो सन् 1983 की है साथ ही शासकीय सेवा अभिलेख, बैंक पासबुक आदि में भूलवश मेरे पक्षकार का सरनेम गढ़े (GARHEY/GADHE) अंकित हैं, परन्तु अन्य दस्तावेजों (ड्रायविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेजों) में मेरे पक्षकार का सरनेम गढ़ेकर अंकित हैं. गढ़े एवं गढ़ेकर दोनों एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे पक्षकार के सरनेम हैं. मेरे पक्षकार का मूल नाम रामदास गढ़ेकर ही है. भविष्य में मेरे पक्षकार का सरनेम समस्त अभिलेखों में गढ़ेकर (GADEKER) मान्य किया जावे. जिस हेतु जाहिर सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है.

सुभाष लोखण्डे,
(अधिवक्ता)
अम्बेडकर वार्ड, मुलताई,
तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.).

(206-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे का नाम कु. सिमरन पिता सरदारसिंह जी मुजालदे, निवासी-29-ए, सिल्वर आर्कस कॉलोनी, अन्नपूर्णा, इन्दौर (म.प्र.) जो कि, स्त्रीलिंग थी. परन्तु आपरेशन के बाद लिंग परिवर्तन हो जाने से वह पुरुष लिंग में परिवर्तित हो गया और उसका नाम समर मुजालदे पिता सरदारसिंह मुजालदे, पता-29-ए, सिल्वर आर्कस कॉलोनी, अन्नपूर्णा, इन्दौर के नाम से जाना-पहचाना जावेगा. लिंग परिवर्तन के बाद मेरे पक्षकार अब पुरुष होकर इनका नाम समर मुजालदे हो गया है. भविष्य में मेरे पक्षकार को इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा.

जयपालसिंह राठौड,
(एडव्होकेट)
कार्यालय-एम-19, इन्दौर ट्रेड सेन्टर,
मधुमिलन चौराहा, इन्दौर (म.प्र.).

(211-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स श्रीराम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी स्थित ई. एच-7, डी.डी., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00066/2014, दिनांक 01-07-14 है. जिसमें दिनांक 01-07-2015 को भागीदार (1) श्री रणविजय सिंह पुत्र श्री वचन सिंह, (2) श्रीमती मीना अटारिया पत्नि श्री रामहेत सिंह, (3) श्रीमती संध्या तोमर पत्नि श्री भूपेन्द्र तोमर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं, एवं इसी दिनांक को संदीप सिंह पुत्र श्री भोला सिंह, निवासी-जी. एम.-899, डी. डी. नगर फर्म में सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 01-04-2016 को (1) श्रीमती एकता पत्नि श्री विजय सिंह, निवासी एफ. एम., 816 डी. डी. नगर, ग्वालियर तथा (2) श्रीमती अर्चना तोमर पत्नि श्री संजीव तोमर, निवासी मीरा कॉम्पलेक्स, एम. पी. नगर, ग्वालियर तथा (3) श्री राधे सिंह तोमर पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह तोमर, निवासी सी. एम.-29, डी. डी. नगर, ग्वालियर फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

फर्म—श्रीराम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
भूपेन्द्र सिंह तोमर,
(भागीदार)
ई. एच-7, डी. डी. नगर, ग्वालियर.

(213-बी.)

सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम-1932 की धारा-72 के अधिनियम के अधीन)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स अलायना इंडस्ट्रीज, रजिस्टर्ड कार्यालय सी-35, कस्तूरबा नगर, भोपाल (म.प्र.) फर्म पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00308/14, दिनांक 01-10-2014 उक्त फर्म की भागीदारी में श्री राजेन्द्र कुमार भण्डारी आत्मज स्व. श्री सोहनलाल भण्डारी, उम्र 56 वर्ष, निवासी ई-5/193, बी-1, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, फर्म के भागीदारी के रूप में दिनांक 31-05-2016 से सम्मिलित किये गये हैं.

मेसर्स अलायना इंडस्ट्रीज,
सुनील शर्मा,
1. निष्ठा पचौरी, 2. सुनील शर्मा, 3. राजेन्द्र कुमार भण्डारी
(पार्टनर)
सी-35, कस्तूरबा नगर, भोपाल (म.प्र.).

(212-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, प्रार्थी फर्म मैसर्स शिव शक्ति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 47-गायत्री विहार, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) ने 01-06-2016 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर श्रीमती रश्मि जादौन पत्नि श्री महाबीर पाल जादौन, निवासी-75-शिवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) एवं श्री अशोक सिंह राणा पुत्र श्री चित्र सिंह राणा, निवासी-संकट मोचन नगर, सरईया पुरा, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) को फर्म से हटा दिया गया है. भविष्य में फर्म से संबन्धित किसी भी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा साथ ही अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर नवीन साझेदार के रूप में श्री हरेन्द्र सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री नबाब सिंह तोमर, निवासी-ग्राम व पोस्ट-सर्वा, तह. गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.) को सम्मिलित किया गया है. भविष्य में फर्म से संबन्धित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य सभी साझेदारों को स्वीकार है.

मेसर्स शिव शक्ति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
सुवेन्द्र सिंह.

(214-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, प्रार्थी फर्म मैसर्स श्रीराम शर्मा, स्टोन क्रेशर, ई-25, न्यू विवेकानन्द कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) ने 01-04-2016 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर फर्म का पता परिवर्तित कर न्यू पता-ए-1, न्यू विवेकानन्द कॉलोनी, बलबन्त नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) कर दिया है साथ ही अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर नवीन साझेदार के रूप में "मैसर्स नेत्रान्श मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड" (डायरेक्टर-मनीष पाराशर पुत्र श्री ओमप्रकाश पाराशर) ए. बी. रोड, सुभाष कॉलोनी, गुना (म.प्र.) को सम्मिलित किया गया है. भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदारों को स्वीकार है.

मेसर्स श्रीराम शर्मा स्टोन क्रेशर,
रामनिवास शर्मा,
(पार्टनर).

(215-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक नेताजी सुभाष बोस मंच ट्रस्ट तर्फे आनंद मोहन माथुर पिता श्री लक्ष्मीनारायण माथुर, पता-14-बी, रतलाम कोठी, इन्दौर द्वारा हिन्दुस्तान चेतना ट्रस्ट, कार्यालय पता-14-बी, रतलाम कोठी, कंचन बाग रोड, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	हिन्दुस्तान चेतना ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय पता-14-बी, रतलाम कोठी, कंचन बाग रोड, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति रुपये 11,00,000/-(अक्षरी रुपये ग्यारह लाख मात्र) रुपये के फण्ड से न्यास शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 06 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(484)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक नेताजी सुभाष बोस मंच ट्रस्ट तर्फे आनंद मोहन माथुर पिता श्री लक्ष्मीनारायण माथुर, पता-14-बी, रतलाम कोठी, इन्दौर द्वारा नेताजी सुभाष बोस मंच ट्रस्ट, कार्यालय पता-14-बी, रतलाम कोठी, कंचन बाग रोड, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	नेताजी सुभाष बोस मंच ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय पता-14-बी, रतलाम कोठी, कंचन बाग रोड, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति रुपये 1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) रुपये के फण्ड से न्यास शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 06 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(484-A)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक हरीश पिता विनायक खरगोनकर, पता-3, शनि गली, जूनी इन्दौर द्वारा एकनाथ महाराज हनुमान मंदिर ट्रस्ट, कार्यालय पता-3, शनि गली, जूनी इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	एकनाथ महाराज हनुमान मंदिर ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय पता-3, शनि गली, जूनी इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में मात्र रुपये 10,000/-(अक्षरी रुपये दस हजार) जो न्यास कर्ता ने ट्रस्ट के लिए घोषित रुपये ट्रस्टियों ने प्राप्त कर लिये हैं.

आज दिनांक 19 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(484-B)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक शिवशम्भू ट्रस्ट तर्फे शंशीकांत चतुर्वेदी पिता श्री शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी, 2 कुश बण्डी पिता नागेन्द्र कुमार बण्डी, श्रुती बंसल पिता विनोद बंसल इन्दौर द्वारा शिवशम्भू ट्रस्ट, कार्यालय पता-253, एम. जी. रोड, मल्हारगंज, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	शिवशम्भू ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय पता-253, एम. जी. रोड, मल्हारगंज, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति रुपये 11,111/-(नगद अक्षरी रुपये ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह मात्र) रुपये के फण्ड से न्यास शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 06 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(484-C)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक रूचिर पिता स्व. श्री काशीनाथ पाराशर, पता-134, मानवता नगर, कनाड़िया रोड, इन्दौर द्वारा सतीशचन्द्र शारदा देवी मंडलोई सार्वजनिक पारमार्थिक न्यास, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	सतीश शारदा देवी मंडलोई सार्वजनिक पारमार्थिक न्यास .
पता	:	कार्यालय पता-28/3, लव कुश आहार विहार सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति में रुपये 25,000/-(अक्षरी रुपये पच्चीस हजार मात्र) रुपये के फण्ड से न्यास शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 13 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(484-D)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक इन्दौर राउण्ड टेबल चेरिटेबल ट्रस्ट तर्फे सी. ए. श्री सत्यनारायण गोयल, पता-5, धेनु मार्केट इन्दौर द्वारा इन्दौर राउण्ड टेबल चेरिटेबल ट्रस्ट, कार्यालय पता-5, धेनु मार्केट इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	इन्दौर राउण्ड टेबल चेरिटेबल ट्रस्ट .
पता	:	कार्यालय पता-5, धेनु मार्केट इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति में रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) से न्यास शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 17 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अजीत कुमार श्रीवास्तव,

पंजीयक.

(484-E)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग त्योंथर, जिला रीवा

दिनांक 19 मई, 2016

प्र.क्र.5/वी-121/15-16.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (30) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 का नियम (1)]

श्री संत रमेश जी, निवासी ग्राम चाकघाट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का (30) की धारा-4 के अधीन अनुसूचित में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 जुलाई, 2016 को विचारण के लिये लिया जायेगा कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका की वह गठन करती है.

अतएव पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी, तहसील त्योंथर, जिला रीवा लोक न्यास का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 6 अप्रैल, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा आपेक्षित करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतएव एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पति का कोई न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी को आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को स्वत: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. उरोक्त अवधि के अवशान उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

लोक न्यास का नाम व पता : संत रमेश जी जन कल्याण सेवाश्रम न्यास (ट्रस्ट)
चाकघाट, जिला रीवा, मध्यप्रदेश.

माला त्रिपाठी,
अनुविभागीय अधिकारी.

(485)

न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला, जिला झाबुआ

प्रारूप क्रमांक-5

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

यत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिये मैं, श्री रामेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास थांदला, जिला झाबुआ मध्यप्रेदश लोक न्यास का पंजीयन थांदला, जिला झाबुआ में मेरे न्यायालय में कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम : श्री रामेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक एवं परमार्थिक न्यास थांदला, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश.

सम्पत्ति.—

अचल सम्पत्ति : श्री रामेश्वर महादेव मंदिर जो थांदला के वार्ड नंबर 02 में महात्मागांधी मार्ग पर भवन क्रमांक 569 पर नगर परिषद के रिकार्ड में दर्ज है. जिसकी चतुर्सीमा निम्न है.

रामेश्वर महादेव मंदिर का चतुर्सीमा

पूर्व में	:	कन्या छात्रावास भवन,
पश्चिम में	:	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन
उत्तर में	:	आमरास्ता,
दक्षिण में	:	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर

कथित न्यास के पास वर्तमान में रुपये 16,472/- बैंक में जमा है.

रंजीतसिंह बालोदिया,
पंजीयक.

(486)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला खण्डवा

प्र.क्र.03/बी-113(1)/2015-16. दिनांक 13 जून, 2016

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962, के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

जैसाकि श्री चन्द्रहास पिता मोहन तिरोले कुन्बी ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 12 जुलाई, 2016 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है, और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	श्री तिरोले कुन्बी समाज, बरूड, तहसील खण्डवा
चल सम्पत्ति	:	2500/- रुपये नगदी.
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम बरूड, तहसील खण्डवा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1970/4 रकबा 0.26 हेक्टेयर.

शाश्वत शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(487)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, दमोह

आदेश

वन परिक्षेत्र अधिकारी सिंग्रामपुर के प्रतिवेदन पृ. क्रमांक 478, दिनांक 19 मई, 2016 के अनुसार पार्श्व अंकित आकृति निम्नांकित हेमर (हथौड़ा) जो वीटगार्ड रिछकुडी को प्रदाय किया गया था. वनरक्षक श्री एलबर्ड ब्राउन द्वारा उक्त हेमर दिनांक 13 मई, 2016 वीट रिछकुडी का वन भ्रमण कर वापिस जबेरा जाने के दौरान मोटर साईकिल से बंधा बस्ता जिसमें हेमर एवं अन्य जानकारी/अभिलेख सहित थैला गिर जाने व जिसे खोजने का हर संभव प्रयास किये जाने पर भी हेमर/अभिलेख प्राप्त नहीं हो सके, जिसकी सूचना दिनांक 15 मई, 2016 थाना प्रभारी थाना जबेरा, जिला दमोह को वनरक्षक द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई परन्तु सभी प्रयास विफल रहे.

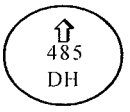

अत: आदेश दिया जाता है कि:-

आदेश क्रमांक/मा.चि./स्था./278. दमोह, दिनांक 08-06-2016

अत: वित्तीय नियम-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त फैलिंग हेमर शासकीय भण्डार/अभिलेख से अपलेखित

किया जावे व उक्त हेमर का मूल्य 12/- रुपये (अंकन बारह रुपये मात्र) श्री एलबर्ड ब्राउन वनरक्षक सिंग्रामपुर परिक्षेत्र से वसूल कर शासकीय कोष में जमा किया जावे एवं वनरक्षक द्वारा शासकीय कार्य के सम्पादन में की गई लापरवाही के लिए एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोधित की जाती है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आकृति का हेमर किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो कृपया उसे निकट स्थित वनमण्डल कार्यालय परिक्षेत्र कार्यालय या पुलिस थाना में जमा कर देवें. उक्त हेमर का अनाधिकृत रूप से अपने पास रखना अथवा उपयोग करना अवैधानिक होगा एवं उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

संजय श्रीवास्तव,
वनमण्डलाधिकारी.

(507)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 13 जून, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,
सेवा सहकारी समिति मर्या., बीना इटावा,
विकासखण्ड बीना, जिला सागर.

क्र./परि./16/1491.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार सेवा सहकारी समिति मर्या., बीना इटावा, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 14, दिनांक 17 जून, 1964 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 उपविधियों के अनुसार प्रबंध कमेटी के अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहने के कारण कार्यालयीन आदेश दिनांक 01 मई, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (1) के अन्तर्गत संस्था के संचालक मण्डल को भंग कर शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., शाखा बीना, जिला सागर को संस्था प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था द्वारा निर्वाचन कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा सहकारी समिति मर्या., बीना इटावा, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 14, दिनांक 17 जून, 1964 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी के परिसमापन करने का आदेश जारी किया जावे. यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर या जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(488)

सागर, दिनांक 13 जून, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,
स्टेट बैंक गृह निर्माण सहकारी भण्डार मर्या., सागर,
विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

क्र./परि./16/1492.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार स्टेट बैंक गृह निर्माण सहकारी भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 46, दिनांक 23 नवम्बर, 1987 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

उपविधियों के अनुसार प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रहने के कारण कार्यालयीन आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7 क) के अन्तर्गत संस्था के संचालक मण्डल को भंग कर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर, जिला सागर को संस्था प्रशासक नियुक्त किया गया था.

संस्था द्वारा निर्वाचन कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही प्रशासक की अनुशंसा के अनुसार संस्था को कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है एवं संस्था अकार्यशील है. उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्टेट बैंक गृह निर्माण सहकारी भण्डार मर्या. सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 46, दिनांक 23 नवम्बर, 1987 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी के परिसमापन करने का आदेश जारी किया जावे. यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर या जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(488-A)

सागर, दिनांक 13 जून, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

माँ जागेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार

मर्या., आचवल वार्ड बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर.

क्र./परि./16/1493.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार माँ जागेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., आचवल, वार्ड बीना विकासखण्ड बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1320, दिनांक 6 सितम्बर, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 उपविधियों के अनुसार प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रहने के कारण कार्यालयीन आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7 क) के अन्तर्गत संस्था के संचालक मण्डल को भंग कर श्री ऋषभ जैन सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बीना, जिला सागर को संस्था प्रशासक नियुक्त किया गया था.

संस्था द्वारा निर्वाचन कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही प्रशासक की अनुशंसा के अनुसार संस्था को कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है एवं संस्था अकार्यशील है. उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ जागेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. आचवल, वार्ड बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1320, दिनांक 6 सितम्बर, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी के परिसमापन करने का आदेश जारी किया जावे. यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर या जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(488- B)

सागर, दिनांक 13 जून, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

सागर गृह निर्माण सहकारी भण्डार मर्या., सागर

विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

क्र./परि./16/1494.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार सागर गृह निर्माण सहकारी भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर,

पंजीयन क्रमांक 12, दिनांक 2 नवम्बर, 1961 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 उपविधियों के अनुसार प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रहने के कारण कार्यालयीन आदेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (8) के अन्तर्गत संस्था के संचालक मण्डल को भंग कर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर, जिला सागर को संस्था प्रशासक नियुक्त किया गया था.

संस्था द्वारा निर्वाचन कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही प्रशासक की अनुशंसा के अनुसार संस्था को कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं है एवं संस्था अकार्यशील है. उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सागर गृह निर्माण सहकारी भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 12, दिनांक 2 नवम्बर, 1961 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी के परिसमापन करने का आदेश जारी किया जावे. यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर या जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(488-C)

सागर, दिनांक 13, 15 जून, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

बीड़ी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रनगुंवा,

विकासखण्ड रेहली, जिला सागर.

क्र./परि./16/1495.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बीड़ी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रनगुंवा, विकासखण्ड रेहली, जिला सागर. पंजीयन क्रमांक 1242, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 उपविधियों के अनुसार प्रबंध कमेटी के निर्वाचन कराने में असफल रहने एवं संस्था के अकार्यशील रहने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रनगुंवा, विकासखण्ड रेहली, जिला सागर. पंजीयन क्रमांक 1242, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी के परिसमापन करने का आदेश जारी किया जावे. यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर या जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(488-D)

सागर, दिनांक 13, 15 जून, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

सरस्वती महिला विकास सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर,

विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर.

क्र./परि./16/1496.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार सरस्वती महिला विकास सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर,

विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1223, दिनांक 19 अप्रैल, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 उपविधियों के अनुसार प्रबंध कमेटी के निर्वाचन कराने में असफल रहने एवं संस्था के अकार्यशील रहने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरस्वती महिला विकास सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1223, दिनांक 19 अप्रैल, 2006 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी के परिसमापन करने का आदेश जारी किया जावे. यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर या जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(488-E)

सागर, दिनांक 13, 15 जून, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,
सीता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खुरई,
विकासखण्ड खुरई, जिला सागर.

क्र./परि./16/1497.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार सीता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खुरई, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1203, दिनांक 16 जून, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 उपविधियों के अनुसार प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रहने के कारण कार्यालयीन आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7 क) के अन्तर्गत संस्था के संचालक मण्डल को भंग कर श्री आर. के. राठौर, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई, जिला सागर को संस्था प्रशासक नियुक्त किया गया था.

संस्था द्वारा निर्वाचन कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही प्रशासक की अनुशंसा के अनुसार संस्था को कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं है एवं संस्था अकार्यशील है. उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खुरई, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1203, दिनांक 16 जून, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी के परिसमापन करने का आदेश जारी किया जावे. यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर या जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(488-F)

सागर, दिनांक 13, 15 जून, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,
प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खुशीपुरा,
विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर.

क्र./परि./16/1498.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खुशीपुरा, विकासखण्ड बण्डा,

जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 785, दिनांक 14 अगस्त, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 उपविधियों के अनुसार प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रहने के कारण कार्यालयीन आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7 क) के अन्तर्गत संस्था के संचालक मण्डल को भंग कर श्री रामजी खरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर को संस्था प्रशासक नियुक्त किया गया था.

संस्था द्वारा निर्वाचन कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही प्रशासक की अनुशंसा के अनुसार संस्था को कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं है एवं संस्था अकार्यशील है. उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खुशीपुरा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 785, दिनांक 14 अगस्त, 2001 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी के परिसमापन करने का आदेश जारी किया जावे. यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर या जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(488-G)

सागर, दिनांक 15 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1499.—लुहारी सुतारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 308, दिनांक 10 अक्टूबर, 1977 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/890, दिनांक 11 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 20 मई, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/890, दिनांक 11 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुये लुहारी सुतारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 308, दिनांक 10 अक्टूबर, 1977 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ.-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्री लक्ष्मीनारायण	श्री टीकाराम	अध्यक्ष	7.	श्री पूरन	श्री मुन्ना लाल	सदस्य
2.	श्री बाबूलाल	श्री राम रतन	उपाध्यक्ष	8.	श्री नारान	श्री देवी सींग	सदस्य
3.	श्री सिट्टू	श्री जालम	सदस्य	9.	श्रीमती प्यारी बाई	श्री निरपत	सदस्य
4.	श्री तेजराम	श्री बाबूलाल	सदस्य	10.	श्रीमती गीतांजली	श्री लक्ष्मी नारायण	सदस्य
5.	श्री विशाल	श्री रामेश्वर	सदस्य	11.	श्री विजय कुमार	निरंक	सदस्य
6.	श्री देवेन्द्र	श्री टीकाराम	सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 13 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(488-H)

सागर, दिनांक 15 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1500.—माँ महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झूड़ा, विकासखण्ड रेहली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1139, दिनांक 12 अगस्त, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/789, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी रेहली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 01 जून, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/890, दिनांक 11 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुये माँ महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झूड़ा, विकासखण्ड रेहली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1139, दिनांक 12 अगस्त, 2004 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ.—

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	शीलरानी	हीरासींग	अध्यक्ष	7.	मोहित रानी	नन्दरामसौंर	सदस्य
2.	रेखा रानी	दौलत	उपाध्यक्ष	8.	संगीता	सुरेन्द्र	सदस्य
3.	निशारानी	अशोक	सदस्य	9.	पार्वतीबाई	बाबूलाल	सदस्य
4.	कुसुमरानी	नत्थू	सदस्य	10.	प्रेमरानी	मोहन	सदस्य
5.	सियारानी	कुन्दन	सदस्य	11.	जगरानी	धरमदास	सदस्य
6.	पिपरियावाली	बन्टू	सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर निर्वाचन करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 15 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(488-I)

सागर, दिनांक 31 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1424.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमराअहीर, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 1207, दिनांक 08 जून, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/713, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमराअहीर, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 1207, दिनांक 08 जून, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(491)

सागर, दिनांक 31 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1425.— आदिवासी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कानीखेड़ी, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 1226, दिनांक 30 जून, 2006 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/759, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही

कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदिवासी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कानीखेड़ी, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 1226, दिनांक 30 जून, 2006 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(491-A)

सागर, दिनांक 31 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1426.— जय माँ काली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हंसरई सादपुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 1200, दिनांक 3 मई, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/716, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (म.प्र.) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय माँ काली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हंसरई सादपुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 1200, दिनांक 3 मई, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(491-B)

सागर, दिनांक 31 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1427.— हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., हीरापुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 639, दिनांक 22 अगस्त, 1996 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2873, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (म.प्र.) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., हीरापुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 639, दिनांक 22 अगस्त, 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(491-C)

सागर, दिनांक 31 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1428.— महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिरनछिपा, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 1205, दिनांक 30 जून, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/695, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में

लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. राठौर, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, मालथोन, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर (म.प्र.) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिरनछिपा, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 1205, दिनांक 30 जून, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर
उप-रजिस्ट्रार.

(491-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सतना

सतना, दिनांक 26 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/791.—महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., धौरहरा, पंजी. क्रमांक 601, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 है के आदेश क्रमांक 1208, दिनांक 25 अक्टूबर, 2015 से परिसमापन में लाया जाकर श्री के. के. गुप्ता, स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आम सभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अत: सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्या. के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1208, दिनांक 25 अक्टूबर, 2015 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., धौरहरा का पंजी. क्रमांक 601, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ.-

1.	श्रीमती संरोज साहू	अध्यक्ष	6.	श्रीमती सुनीता यादव	सदस्य
2.	श्रीमती राजलक्ष्मी दाहिया	उपाध्यक्ष	7.	श्रीमती तेरसिया साहू	सदस्य
3.	श्रीमती गोदिया कोल	सदस्य	8.	श्रीमती दयाबाई सिंह	सदस्य
4.	श्रीमती मीना सिंह	सदस्य	9.	श्रीमती सुनीता पटेल	सदस्य
5.	श्रीमती हिरण साकेत	सदस्य			

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(489)

सतना, दिनांक 26 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/792.—दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गोरा, पंजी. क्रमांक 659, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 है के आदेश क्रमांक 1207, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 से परिसमापन में लाया जाकर श्री के. के. गुप्ता, स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आम सभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अत: सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्या. के परिसमापन आदेश क्रमांक 1207, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015

को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गोरा, पंजी. क्रमांक 659, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ.-

1.	श्री प्रेम लाल सिंह	अध्यक्ष	6.	श्री अशोक सिंह	सदस्य
2.	श्री छोटेलाल सिंह	उपाध्यक्ष	7.	श्री रामसिया सिंह	सदस्य
3.	श्री भूपेन्द्र सिंह	सदस्य	8.	श्रीमती सोमवती	सदस्य
4.	श्री विष्णु पटेल	सदस्य	9.	श्रीमती आशा सिंह	सदस्य
5.	श्री चुड़ामणि	सदस्य			

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(489-A)

सतना, दिनांक 26 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/793.-दुग्ध सहकारी समिति मर्या., धतुआ, पंजी. क्रमांक 732, दिनांक 22 फरवरी, 2012 है के आदेश क्रमांक 1205, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 से परिसमापन में लाया जाकर श्री के. के. गुप्ता, स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आम सभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अत: सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्या. के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि. 1205, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत दुग्ध सहकारी समिति मर्या., धतुआ, पंजी. क्रमांक 732, दिनांक 22 फरवरी, 2012 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंध कारिणी समिति को नामांकित करता हूँ.-

1.	श्री कुंवर सिंह	अध्यक्ष	6.	श्री ललवा कोल	सदस्य
2.	श्री रामाश्रय पटेल	उपाध्यक्ष	7.	श्रीमती मधुआ पटेल	सदस्य
3.	श्री सुरेश पटेल	सदस्य	8.	श्रीमती सुशीला पटेल	सदस्य
4.	श्री ललुआ कोल	सदस्य	9.	श्रीमती चेतना पटेल	सदस्य
5.	श्री रमाकांत पटेल	सदस्य			

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

आर. पी. पाल,
उप-पंजीयक.

(489-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कॉलम 04 में दर्शित हैं एवं कॉलम क्रमांक 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण-पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत्

प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 नवम्बर, 2015 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा:-

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	धनश्री साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन.	खरगौन	1804/10-03-2014 (संपरिवर्तित)	1592/22-12-2014	श्री आर. के. महाजन, सह. निरी.
2.	मातेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन.	खरगौन	1750/10-03-2014 (संपरिवर्तित)	1516/19-11-2013	श्री आर. के. महाजन, सह. निरी.
3.	अनंत साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन.	खरगौन	1724/10-03-2014 (संपरिवर्तित)	795/07-07-2015	श्री आर. के. महाजन, सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(490)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कॉलम 04 में दर्शित हैं एवं कॉलम क्रमांक 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण-पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जनवरी, 2016 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा:-

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., थरवर.	बडवाह	1338/28-06-2003	1104/04-09-2013	श्री के. के. वास्कले, वरि. सह. निरी.
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मोगरगांव.	बडवाह	1343/20-01-2004	1342/07-02-2013	श्री के. के. वास्कले, सह. निरी.
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., भानबरड.	बडवाह	1284/15-01-2001	1337/07-10-2013	श्री एस. एस. चौहान, वरि. सह. निरी.
4.	संतराम वर्मिकल्चर एवं कम्पोस्ट उत्पा. सह. मर्या., सनावद.	बडवाह	65/05-03-2003	154/10-02-2009	श्री एस. एस. चौहान, वरि. सह. निरी.
5.	विजयलक्ष्मी साख सह. मर्या., खरगौन	खरगौन	89/28-11-2005	1476/24-11-2009	श्री आर. के. रोमडे, सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(490-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./13/1152, दिनांक 07 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रूचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05-01-1999/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गंगा बीज उत्पा. सह. सं, मर्या., वासवा, तहसील बडवाह, पंजीयन क्रमांक/1837, दिनांक 10 मार्च, 2014 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री भुषण जडे़, उप-अंकेक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत् परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(490-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कॉलम 04 में दर्शित हैं एवं कॉलम क्रमांक 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण-पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2016 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा:-

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	एकता मत्स्य सह. संस्था मर्या., बाजनपुरी.	बडवाह	1438/11-08-2005	761/18-06-2014	श्री मनोहर वास्कले, स. वि. अ.
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., ढकलगांव.	बडवाह	1333/31-03-2003	1343/07-10-2013	श्री कैलाश वास्कले, व. स. नि.
3.	माँ मेकल रेत उत्खनन सह. संस्था मर्या., कटघडा.	बडवाह	1224/24-04-1999	804/02-07-2003	श्री भूषण जडे, उप-अंकेक्षक.
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सरवर देवला.	कसरावद	1093/16-01-1997	1237/20-09-2013	श्री आर. आर. भट्ट, स. वि. अ.
5.	माँ नर्मदा प्राथ. उप. भण्डार मर्या., महेश्वर.	महेश्वर	1444/05-10-2005	526/04-04-2014	श्री आर. के. रोमडे, सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(490-C)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/914.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 480, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटपचलाना, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 613, दिनांक 06 जून, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एन. पी. बहोरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(490-AA)

उज्जैन, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/915.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3019, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ईटावा, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1069, दिनांक 07 मई, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री अशोक मालवीय, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(490-BB)

उज्जैन, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 479, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लेकोड़ा आंजना, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1064, दिनांक 03 सितम्बर, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(490-CC)

उज्जैन, दिनांक 26 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/921.-इंदौर बैंक एम्पलाईज सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 1080, दिनांक 01 मई, 1993, आदेश क्रमांक/परि./1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर श्रीमती स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा कई वर्षो से अकार्यशील रहना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था का पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अंतर्गत इंदौर बैंक एम्पलाईज सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 1080, दिनांक 01 मई, 1993 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्रीमती स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(490-DD)

उज्जैन, दिनांक 09 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

माँ भवानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अमलावदिया जुनार्दा, पंजीयन क्रमांक 1670, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 आदेश क्रमांक/परि./1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर श्री समीर हरदास, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा कई वर्षो से अकार्यशील रहना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 को निरस्त कर अधिनियम की की धारा-69 (4) के अंतर्गत माँ भवानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अमलावदिया जुनार्दा, पंजीयन क्रमांक 1670, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री समीर हरदास, उप-अंकेक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(490-EE)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 04 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग)के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/569.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिणाम में लाया जाये :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	उत्तम बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., तिलावद मैना	1145/08-12-2014

1	2	3
2.	महांकाल बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बागौदा	1197/25-02-2015
3.	फल, फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., बिकलाखेडी	688/19-03-1998
4.	चेतना रेडीमेट औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., मक्सी	223/16-01-1991
5.	शांति बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बापचा	1115/03-11-2014
6.	मालवा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., डासी	438/08-10-1987
7.	श्री महिला साख सह. संस्था मर्या. शाजापुर	1/29-11-2000

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज-लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4
1.	उत्तम बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., तिलावद मैना	1145/08-12-2014	श्री एम. एल. सूलिया, अंके. अधिकारी.
2.	महांकाल बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बागौदा	1197/25-02-2015	श्री एम. एल. सूलिया, अंके. अधिकारी.
3.	फल-फूल, साग-सब्जी सह. संस्था मर्या., बिकलाखेडी	688/19-03-1998	श्री एम. एल. सूलिया, अंके. अधिकारी.
4.	चेतना रेडीमेट औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., मक्सी	223/16-01-1991	श्री एम. एल. सूलिया, अंके. अधिकारी.
5.	शांति बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बापचा	1115/03-11-2014	श्री एम. एल. सूलिया, अंके. अधिकारी.
6.	मालवा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., डासी	438/08-10-1987	श्री एम. एल. सूलिया, अंके. अधिकारी.
7.	श्री महिला साख सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर	1/29-11-2000	श्री एम. एल. सूलिया, अंके. अधिकारी.

यह आदेश आज दिनांक 04 जून, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(492)

कार्यालय जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 10 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./स्था./विधि/लेखा/38.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., शाजापुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/एस.एच.जे.पी.आर./एच.ओ./98, दिनांक 12 मार्च, 1963 है को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन के आदेश क्रमांक/विधि/2016/159, दिनांक 09 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-57(सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के अन्तर्गत समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मीना डाबर,
परिसमापक.

(493)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 09 जून, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत् मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	उत्तम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिलावद मैना	1845/08-12-2014	569/04-06-2016
2.	महांकाल बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बागौदा	1197/25-02-2015	569/04-06-2016
3.	फल, फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., बिकलाखेडी	1115/13-11-2014	569/04-06-2016
4.	चेतना रेडीमेट औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., मक्सी	688/19-03-1998	569/04-06-2016
5.	शांति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बापचा	1115/03-11-2014	569/04-06-2016
6.	मालवा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., डासी	438/08-10-1997	569/04-06-2016
7.	श्री महिला साख सह. संस्था मर्या. शाजापुर	1/29-11-2000	569/04-06-2016

अतः मैं, एम. एल. सुलिया, परिसमापक एवं अंके. अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एम. एल. सुलिया,
परिसमापक एवं अंके. अधिकारी.

(494)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 14 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.1.—कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	पीक संरक्षण सह. संस्था मर्या., खुरमपुरा	30/30-08-2001	359/28-04-2016	श्री जे. एस. रावत, स. नि.
2.	श्री हरि सांई साख सह. संस्था मर्या. बड़वानी	399/21-11-2014	363/28-04-2016	श्री जे. एस. रावत, स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित

परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बावद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्हीं भी व्यक्तियों, संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 14 जून, 2016 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

जे. एस. रावत,
स. नि. एवं परिसमापक.

(495)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 14 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.1.-कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., एक्लबारा	224/28-09-2007	356/28-04-2016	श्री के. सी. दशोरे, उप अंके.
2.	बाबा म. सह. उप. भं. संस्था मर्या., बड़वानी	130/28-02-2005	357/28-04-2016	श्री के. सी. दशोरे, उप अंके.
3.	श्री गुरु कृपा साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	471/29-04-2015	360/28-04-2016	श्री के. सी. दशोरे, उप अंके.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बावद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्हीं भी व्यक्तियों, संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 14 जून, 2016 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

के. सी. दशोरे,
उप अंके. एवं परिसमापक.

(496)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 14 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.1.—कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., मटली	247/10-04-2008	352/28-04-2016	श्री व्ही. के. गुप्ता, स. नि.
2.	आदर्श म. प्राथ. भं. सह. संस्था मर्या., राजपुर	74/28-10-2002	351/28-04-2016	श्री व्ही. के. गुप्ता, स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बावद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्हीं भी व्यक्तियों, संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 14 जून, 2016 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

व्ही. के. गुप्ता,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(497)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 14 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.1.-कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., बावडीया	225/28-09-2007	354/28-04-2016	श्री राजेन्द्र सिरसाट, स. नि.
2.	श्री हिमालय बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., मण्ड़वाडा	461/29-04-2015	362/28-04-2016	श्री राजेन्द्र सिरसाट, स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बावद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्हीं भी व्यक्तियों, संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 14 जून, 2016 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

राजेन्द्र सिरसाट,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(498)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 14 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.1.-कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	कमला म. प्राथ. भण्डार सह. संस्था मर्या., पानसेमल.	259/31-12-2008	349/28-04-2016	श्री जी. एस. तरोले, व. स. नि.
2.	माँ अन्नपूर्णा म. प्राथ. भण्डार सह. संस्था मर्या., पानसेमल.	258/31-12-2008	354/28-04-2016	श्री जी. एस. तरोले, व. स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बावद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्हीं भी व्यक्तियों, संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 14 जून, 2016 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

जी. एस. तरोले,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(499)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 14 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.1.—कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	ग्रा. म. बहु. सह. संस्था मर्या., बासवी	99/29-05-2003	350/28-04-2016	श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि.
2.	शक्तिपूंज ———„——— झोलपीपरी	122/16-07-2007	355/28-04-2016	श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बावद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्हीं भी व्यक्तियों, संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 14 जून, 2016 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

बी. एल. जामरे,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(500)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 14 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.1.-कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सुस्तीखेड़ा	230/01-11-2007	358/28-04-2016	श्री जे. एस. चौहान, व. स. नि.
2.	कमला साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी	404/21-11-2014	361/28-04-2016	श्री जे. एस. चौहान, व. स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बावद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्हीं भी व्यक्तियों, संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धि कोई लेखा पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजे होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 14 जून, 2016 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

जे. एस. चौहान,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(501)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर मालवा, दिनांक 27 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/805.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बापचा (बड़ौद), तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 344, दिनांक 24 अक्टूबर, 1985 को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014//945, दिनांक 19 अगस्त, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बापचा (बड़ौद), तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 मई, 2016 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(502)

आगर-मालवा, दिनांक 03 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

कार्यालय को दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को श्री मोहन/अमराजी संजोग मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, भवानीपुरा, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा के क्रियाकलापों के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच संस्था प्रभारी अधिकारी एवं सहायक मत्स्य अधिकारी, जिला आगर-मालवा श्री एल. पी. रजक से करायी गयी.

प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन से अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता एवं पूर्व समिति अध्यक्ष रमेशचन्द्र वर्मा के बीच दो गुट हो गये हैं. दोनों गुटों को कार्य करने की अनुमति दिये जाने के उपरांत इनके द्वारा जब-जब कार्य किये गये, इनमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. इन दोनों के द्वारा कराये गये कार्य की राशि संस्था में जमा नहीं करायी जाती है तथा बताया जाता है कि हमारे द्वारा सदस्यों को मछली बांट दी जाती है. प्रभारी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर मत्स्याखेट करने वाली पार्टी के साथ सदस्यगण आते हैं किन्तु कार्य नहीं करते हैं. प्रभारी अधिकारी के देखने में आया है कि :-

1. संस्था सदस्य कार्य करने में रुचि नहीं ले रहे है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रही है.
3. संस्था सदस्य निर्वाचन में रुचि नहीं ले रहे हैं.

प्रभारी अधिकारी के उक्त पत्र से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था में विवाद की स्थिति निर्मित होती रही है. प्रभारी अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लायी जाने की अनुशंसा की गयी है.

संस्था प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा एवं संस्था में हो रहे सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के विपरीत कार्य के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-1999/15/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये संजोग मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, भवानीपुरा, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 11 दिसम्बर, 2013) को आज दिनांक 03 जून, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. पी. रजक, सहायक मत्स्य अधिकारी, आगर-मालवा को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 03 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. गौर,
उप-पंजीयक.

(502-A)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड तामिया, जिला छिन्दवाड़ा

दिनांक 15 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	पातालकोट फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., श्रीझोंत	970/10-01-2014
2.	माँ कृपा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खमतरा	1008/10-01-2014
3.	शिवशक्ति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., उमरवाह	935/10-01-2014
4.	माँ दुर्गा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., देलाखारी	959/10-01-2014
5.	माँ नर्मदा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बंधीबोदलकछार	961/10-01-2014
6.	जय शिव भोले बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., उमरिया	962/10-01-2014
7.	जय श्री किसान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., देलाखारी	968/10-01-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक 57 (सी) के अंतर्गत उपरोक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को दिनांक 18 जून, 2016 से दिनांक 27 जून, 2016 के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे या मेरे द्वारा अधिकृत व्यक्ति श्री दयाराम सूर्यवंशी, प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या., तामिया को कार्यालयीन दिवस में समय दोपहर 12.00 बजे से दोपहर बाद 04.00 बजे तक लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि निर्धारित दिनांक 27-06-2016 तक किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

राजेन्द्र कुमार काम्बले,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(503)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 06 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1022.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत अमीपा बीज उत्पादक सहकारी

संस्था मर्या., भडापिपल्या (देवास), पंजीयन क्रमांक 23, दिनांक 04 फरवरी, 2014 को आदेश क्रमांक परि./16/848, देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये, जिसके लिये सदस्यों ने कार्ययोजना भी तैयार की है एवं यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं. आम सभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तिव में बने रहना आवश्यक है. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्दह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत अमीपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भडापिपल्या (देवास) का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री माखनलाल S/o अम्बाराम सदस्य, श्री संदीप S/o हर किशोर एवं सदस्य श्री चन्दरलाल S/o सीताराम की त्रि-सदस्यीय कमेटी गठित करता हूँ. कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(504)

देवास, दिनांक 06 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1024.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलकोटा, जिला देवास, पंजीयन क्रमांक 1563, दिनांक 05 जून, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन न कराये जाने से संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी करते हुए निर्धारित समयावधि पश्चात् मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/16/861, देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक इन्दौर, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मर्या., इन्दौर को परिसमापक बनाया गया था. परिसमापन आदेश उपरांत संस्था के पर्यवेक्षक एवं परिसमापक श्री महेन्द्र तिवारी द्वारा बताया गया कि संस्था के निर्वाचन चल रहे हैं. अत: निर्धारित समयावधि में निर्वाचन न कराये जाने के आधार पर जारी किया गया परिसमापन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है.

संस्था पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का कार्यालयीन रिकार्ड से अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट हुआ है कि संस्था की अंतिम सूची का प्रकाशन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक 3069, भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2016 से किया जा चुका है. कार्यालय में तत्कालीन निर्वाचन कक्ष प्रभारी श्री एम. एस. सिद्दकी द्वारा त्रुटिवश संस्था को परिसमापन में लाये जाने की नोटशीट लिख दी गयी थी. मानवीय भूल होने एवं संस्था पर्यवेक्षक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्दह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलकोटा का परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए. परिसमापन आदेश से पूर्व के निर्वाचित संचालक मण्डल को यथावत रखता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(504-A)

देवास, दिनांक 14 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1049.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मातमोर, पंजीयन क्रमांक 317, दिनांक 18 मार्च, 1978 को आदेश क्रमांक परि./807, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. खरे, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये, जिसके लिये सदस्यों ने कार्ययोजना भी तैयार की है एवं यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं. आम सभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया हैं.

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तिव में बने रहना आवश्यक है. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्दह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मातमोर का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री शोभाराम नन्दराम सदस्य श्री जितेन्द्र बालाजी एवं सदस्य श्री दिनेश कन्हैयालाल की त्रि-सदस्यीय कमेटी गठित करता हूँ. कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 14 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(504-B)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-5 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ नर्मदा फल, कृषि एवं साग-सब्जी, सहकारी संस्था मर्यादित, खातेगांव, तहसील खातेगांव, जिला देवास.	38/14-02-15	क्र./परि./2015/1927 दिनांक 18-11-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे. यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक में नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहुकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई हैं.

आर. के. सोनी,
परिसमापक.

(505)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46. जिला नरसिंहपुर* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. गाड़रवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		लाख, राई-सरसों, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		समान.		
4. मण्डला	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) अलसी, गेहूँ, चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		मटर, लाख समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. चांद	. .				
11. हर्रई	. .				
12. मोहखेड़ा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	. .		उड़द, मूँग, अरण्डी, राई-		
4. बरघाट	. .		सरसों, अलसी, कुसुम,		
5. उरई	. .		सूरजमुखी.		
6. घंसोर	. .		(2) . .		
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.-*जिला सिंगरौली, उज्जैन, बैतूल, हरदा, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(483)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई, 2016-आषाढ़ 17, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**--राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के सागर जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है--

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील बीना, खुरई, बण्डा, सागर, रेहली, राहतगढ़, केसली, शाहगढ़ (सागर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.-तहसील मालथोन (सागर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**- जिला दमोह में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला दमोह में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-**

5. **कटाई.**- जिला बुरहानपुर में फसल गेहूँ, चना व कटनी में गेहूँ, चना, मसूर व भोपाल में गेहूँ, चना, मसूर, मटर व मुरैना, पन्ना, अनूपपुर, सीधी, इन्दौर, खरगौन, सीहोर व सिवनी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, डिण्डोरी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 06 अप्रैल, 2016

क्र. जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .				
2. पोरसा	. .				
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .				
2. कराहल	. .				
3. विजयपुर	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	. .				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	. .				
4. मेंहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग, तुअर, मूँगफली, गेहूँ, चना,सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. भाण्डेर	. .				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .				
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	**जिला अशोकनगर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
	1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. ईसागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
	3. अशोकनगर	. .				
	4. चन्देरी	. .				
	5. शाढौरा	. .				
8.	**जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
	1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. राघोगढ़	. .		मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
	3. बमोरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
	4. आरोन	. .				
	5. चाचौड़ा	. .				
	6. कुम्भराज	. .				
9.	**जिला टीकमगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
	1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. पृथ्वीपुर	. .		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
	3. जतारा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
	4. टीकमगढ़	. .				
	5. बल्देवगढ़	. .				
	6. पलेरा	. .				
	7. ओरछा	. .				
10.	**जिला छतरपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
	1. लव-कुश नगर	. .		4. (1) तिल अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
	3. नौगांव	. .				
	4. छतरपुर	. .				
	5. राजनगर	. .				
	6. बिजावर	. .				
	7. बड़ामलहरा	. .				
	8. बक्सवाहा	. .				
11.	**जिला पन्ना :**	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
	1. अजयगढ़	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. पन्ना	. .		सरसों, अलसी, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
	3. गुन्नौर	. .		आलू, प्याज.		
	4. पवई	. .		(2) . .		
	5. शाहनगर	. .				
12.	**जिला सागर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
	1. बीना	2.2		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. खुरई	10.1		तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
	3. बण्डा	13.4		आलू, प्याज कम.		
	4. सागर	7.2		(2) . .		
	5. रेहली	4.0				
	6. देवरी	. .				
	7. गढ़ाकोटा	. .				
	8. राहतगढ़	3.0				
	9. केसली	2.0				
	10. मालथोन	42.0				
	11. शाहगढ़	12.0				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .		(2) . .		
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) चना, तुअर राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .		(2) . .		
4. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना अधिक. राहर, राई-सरसों, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) तुअर अधिक. राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .				
3. मानपुर	. .		(2) . .		
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .				
3. मझौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. जिला सिंगरौली* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मूँगमोठ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, गन्ना, चना अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .			चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .		(2) . .		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ अम्बेडकरनगर)	. .				
32. जिला खरगोन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .			चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .				
4. खरगोन	. .				
5. गोगावां	. .		(2) . .		
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल चना, गेहूँ की	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	की कटाई का कार्य	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .	चालू है.	गन्ना अधिक.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, तिल अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गौहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) मटर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) . .		
3. जबलपुर	. .				
4. मझोली	. .				
5. कुण्डम	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46. जिला नरसिंहपुर* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. गाड़रवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		लाख, राई-सरसों, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		समान.		
4. मण्डला	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) अलसी, गेहूँ, चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		मटर, लाख समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. तामिया	. .				
5. सौंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. चांद	. .				
11. हर्रई	. .				
12. मोहखेड़ा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	. .		उड़द, मूँग, अरण्डी, राई-		
4. बरघाट	. .		सरसों, अलसी, कुसुम,		
5. उरई	. .		सूरजमुखी.		
6. घंसोर	. .		(2) . .		
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.-*जिला सिंगरौली, उज्जैन, बैतूल, हरदा, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(483)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016